महत्वपूर्ण

संख्या–पी 112/81–2–2019–79/91

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ कार्यालय पत्र संख्या–1005/11–सी/एफपी/ यूपी/रोड/29061/2017, दिनांक 20–11–2019(संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में परीक्षणोपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। अतएव निम्न बिन्दुओं पर आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

(1) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उपरांत ही भारत सरकार प्रेषित किया जायेगा। यदि प्रयोक्ता द्वारा शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है, तो नियमानुसार विधिक/वैधानिक कार्यवाही की जाय।

(2) विषयगत प्रस्ताव में प्रयोक्ता द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित भूमि हस्तांतरण की शर्तो के अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

ACF
26/12
CF/Nodal
28/12/19

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या एंव दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 20–11–2019 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया लीज संबंधी प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधनों के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2–मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।

3–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, उ0प्र0 रेनुकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

4–महाप्रबंधक नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना ककरी सोनभद्र।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

अति आवश्यक

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1274/11–सी– FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 26 ,2019

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त विषयगत प्रकरण में वंछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त विषयगत प्रकरण में वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना नार्दन कोल फील्ड्स लि0, पो0–बीना प्रोजेक्ट, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/12

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।